झारखण्ड सरकार

वन एवॊ ऩमाावयण

ववबाग

अधधसूचना

ाानॊक - 3/ऩमाा0प्रदू0(ववववध)- 31/2008 .... ददनाॊक

जर (प्रदूषण धनवारण एवॊ धनयॊत्रण) अधधधनयम, 1974 के द्वारा प्रदूषणकी रोकथाम तथा धनयॊत्रण हेतु दकये गये प्रावधानों के दियान्वयन के धरए धारा4 (1)के तहत् झारखण्ड राज्य प्रदूषण धनयॊत्रण ऩषाद का गठन दकया गया है।

मा0सवोच्च न्यायारय में ररट याधचका (धसववर) सॊख्या 657/1995 में ददनाॊक-14.10.2003को ऩाररत आदेश में ददए गए ववधभन्न धनदेशों काकारबद्ध रूऩ से दियान्वयनसुधनश्चित करने के धरए उक्त आदेश के अॊतगात गदठत अनुश्रवण सधमधत एवॊ मेनन कधमदटकी अनुशॊसा है दक आवेदक ववान,अधभयाॊवत्रकी अथवा तकनीकी में स्नातकोत्तर की दडग्री

रखता हो तथा ऩमाावरण सरॊंण के ें त्र में काया करने का ऩयााप्त अनुभव हो।

सदस्य सधचव के सॊबॊध में वैधाधनक प्रावधानों (जर/वायु अधधधनयम) के अनुसारवाॊछनीय है दक वे ऩूणाकाधरक हों तथा उन्हें प्रदूषण धनयॊत्रण के वैाधनक,अधभयाॊवत्रक तथाप्रबन्धन सॊबॊधधत ेंत्रों में योग्यता, जानकारी एवॊ अनुभव हो ।

जर (प्रदूषण धनवारण एवॊ धनयॊत्रण) अधधधनयम, 974 (1974 का 6 वाॊ)की धारा 64,उऩ धारा-2,क्रॉज–ई-के द्वारा प्रदत्त शवक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार,झारखण्डराज्य प्रदूषण धनयॊत्रण ऩषाद के सदस्य सधचव की सेवा शतो को ववधनयधमत करने हेतुधनम्नधरश्चखत धनयम बनाती है :-

1. **सॊश्चिप्त नाम एवॊ प्रारम्भ :-**

(1) **इन धनयमों को झारखण्ड राज्य प्रदूषण धनयॊत्रण ऩषाद सदस्य सधचव धनयुवक्त एवॊ सेवाशता धनयमावरी,2013कहा जायेगा ।**

(2) **ये धनयम अधधसूचना की धतधथ से प्रभावी होंगे ।**

(3) **ऩदों की सॊख्या-एक (कायाभार के अनुसार ऩररवतानीय)**

(4) **धनयुवक्त की ववधध - प्रधतधनयुवक्त के आधार ऩर**

(5) **वेतनमान 16,400-20,000 रू० (अनुनरश्चत) या षष्टम वेतनमान के अनुरूऩ वेतनमान** PB-IV**- 37400-67000 रू0ग्रेड ऩे 8900**

(6) **आयु सीमा - आवेदन प्राधप्त हेतु अश्चन्तम धतधथ को प्रधतधनयुवक्त के धरए अधधकतम आयु सीमा 57 वषा होगी ।**

(7) **इस धनयुवक्त के तत्कार ऩहरे इस सॊस्था अथवा इस प्रकार के अन्य सॊस्था/राज्य सरकार के ववभाग में अन्य अधतररक्त सॊवगीय (** EX-Cadre**) ऩद धाररत करने की अवधध के सदहत प्रधतधनयुवक्त की अवधध सामान्यत् अधधकतम तीन वषा होगी।**

(8) **सेवा शता - ऩषाद के सदस्य सधचव के भत्तायोगदान का समय,Salary,भववष्य धनधध, उऩादान,सेवाधनवृधत आयु,धचदकत्सा सुववधा एवॊ अन्य सेवा शता राज्य सरकार / केत्र**

सरकार के अधीन समान वेतनमान का ऩद धारण करनेवाऱे ऩदाधधकारी के सॊबॊध में ऱागू धनयम एवॊ आदेश द्वारा ववधनयधमत होंगे ।

(9) योग्यता एवॊ अनुभव - केन्र सरकार / राज्य सरकारों / सावाजधनक उऩिमों / ववश्वववद्याऱयों मान्यता प्राप्त शोध सॊस्थानों / स्वायत अथवा अद्र्व सरकारी अथवा वैधाधनक सॊस्थानों के अधीन ऩदाधधकारी :-

(K) (i) धनयधमत रूऩ से सदृश्य ऩद धारण करनेवाऱे(Or

(ii) 14300-18300 (अनुनरश्च त) या षष्टम वेतनमान के अनुरूऩPB-IV 37400-67000, ग्रैड ऩे8700के वेतनमान वाऱे ऩदों ऩर ऩाॉच वषा की धनयधमत सेवासे अन्यून नहीीं य एवॊ

(b) धनम्नधऱश्चखत श्चणक योग्यता एवॊ अनुभव रखनेवाऱे :- शै

(i) ऩयाावरण से सॊबॊधधत भौधतकीय ववान में स्नातकोत्तरदडग्री या ऩयाावरण से सॊबॊधधत ववषय ऩर अधभयॊत्रण दडग्री मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याऱय से या समकं ।

(ii) सरकारी ववभागों/सॊस्थाओॊ/केन्रीय सावाजधनक उऩिमों/ ववश्वववद्याऱयों/ मान्यता प्राप्त शोघ सॊस्थाओॊ /sस्वायत्ता अथवा अद्धा सरकारी अथवा वैधाधनकसॊस्थाओॊ में प्रबॊधन स्तर ऩर दस वषा का अनुभव तथा ऩयाावरण सॊरं ण सॊबॊधी

10. धनरहाता:- वह व्यवक्त -

(K) श्चजसने ऐसे व्यवक्त से,श्चजसका ऩधत या श्चजसकी ऩत्नी जीववत है,वववाह दकया है; या

(ख) श्चजसने अऩने ऩधत या अऩनी ऩत्नी के जीववत रहते हुए,दकसी व्यवक्त से वववाह दकया Is,उक्त ऩद ऩर धनयुवक्त का ऩात्र नहीीं होगा। ऩरन्तु यदद राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है दक इस प्रकार का वववाह ऐसे व्यवक्त अथवा दूसरे ऩं के सॊदभा में ऱागू ववषेष ववधध के अन्तगात अनुा्ेय है, अथवा इसके धऱए अन्य आधार है, तो राज्य सरकार ऐसे दकसी व्यवक्त को इस धनयम के प्रभाव से मुक्त कर सकती है ।

11. धनयुवक्त की प्रदिया :- सदस्य सधचव,झारखण्ड राज्य प्रदूषण धनयॊत्रण ऩषाद की धनयुवक्त के धऱए एक चयन सधमधत गदठत है, श्चजसके सदस्य धनम्नवत् है:-

मुख्य सधचव,झारखण्ड - अध्यं
सधचव,वन एवॊ ऩयाावरण ववभाग,झारखण्ड- सदस्य
सधचव,उद्योग ववभाग,झारखण्ड - सदस्य
सधचव,स्वास््य एवॊ ऩररवार कल्याण ववभाग,- सदस्य झारखण्ड

(i) मृत्यु त्याग ऩत्र या ऩदच्युधत के कारण सदस्य सधचव का ऩद ररक्त होने के एक माह के भीतर तथा सदस्य सधचव की सेवाधनवृधत या कायाकाऱ समाप्त होने के छ् माह ऩूवा राज्य सरकार चयन सधमधत को ररवक्त के भरे जाने हेतु ररवक्त सॊसूधचत करेगी ।

(ii) ररवक्त सॊसूधचत होने के 3 माह के भीतर चयन सधमधत,सदस्य सधचव के चयन की काारवाई ऩूरी करेगी ।

(iii) भेजी गयी ररवक्त के धरए चयन सधमधत दो नामों के नैनर की अनुशोसा करेगी।

(iV) दकसी व्यवक्त को सदस्य सधचव के रून में धनयुक्त करने हेतु अनुशोधसत करने के नूवा,चयन सधमधत आश्वस्त हो रेगी दक ऐसे व्यवक्त का कोई ऐसा आधथाक अथवा अन्य दहत न हो जो सदस्य सधचव के रून में उसके कताव्यों को नूवााग्रह से प्रेररत होकर प्रभाववत कर सकता है ।

(V) चयन सधमधत द्वारा की गयी दो नामों की अनुशोसा में से दकसी एक की धनयुवक्त सदस्य सधचव के नद नर मुख्यमोत्री के अनुमोदन के नात की जायेगी।

(सुनीर कुमार)
सरकार के उन
सधचव

ािनोक - 3/नयाा0प्रदू0(ववववध)- 31/2008 .... ददनोक

प्रधतधरवन- अधीं क,राजकीय मुरणारय,डोरण्डा,रोंची को झारखण्ड राजनत्र के असाधारण अोक में प्रकाशनाथा प्रेवषत।

अनुरोध है दक 100 अधतररक्त मुदरत प्रधतयाॉ ववभाग को उनरब्ध कराने कीकृना की जाय।

सरकार के उन सधचव

ािनोक - 3/नयाा0प्रदू0(ववववध)- 31/2008 .... ददनोक

प्रधतधरवन- प्रधान सधचव,राज्यनार सधचवारय,झारखण्ड,राॉची / माननीयमुख्यमोत्री के प्रधान सधचव,झारखण्ड, राॉची / मुख्य सधचव, झारखण्ड के प्रधान सधचव,झारखण्ड,राॉची / प्रधान सधचव,नयाावरण, वन एवों जरवायुनररवतान, इश्चन्दरा नयाावरण भवन, जोरबाग,अरीगोज रोड,नई ददल्री – 110003 /अध्यं ,केन्रीय प्रदूषण धनयोत्रण नषाद, नररवेश भवन,अजुान नगर,नई ददल्री / ववकास आयुक्त,झारखण्ड,राॉची / सभी ववभाग के प्रधान सधचव / सधचव / सभी ववभागाध्यं ,झारखण्ड / सभी प्रमण्डरीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उनायुक्त,झारखण्ड / महारेखाकार,झारखण्ड,रोंची / सभी प्रधान मुख्य वन सोरं क,झारखण्ड,राॉची / सभी ें त्रीय मुख्य वन सोरंक,झारखण्ड,राॉची / सभी कोषागार नदाधधकारी,झारखण्ड / अध्यं / सदस्य सधचव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण धनयोत्रण नषाद, राॉची को सूचनाथाप्रेवषत।

सरकार के उन सधचव